प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलूरु

सं.प्र.नि.ले.प.(कें.)/प्रशा./ए/2021-22/257 दिनांक : 29.11.2021

परिपत्र

परिपत्र सं.27/2021 सं.967-स्टाफ (नियु.I)/22-2016 दिनांक 03.08.2021 के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक दवारा जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलूरु में संबंधित संवर्गों में विद्यमान रिक्तियों के प्रति अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/पर्यवेक्षकों/सहायक पर्यवेक्षकों/वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव/आशुलिपिक, श्रेणी I एवं श्रेणी II से आवेदन आमंत्रित हैं।

अल्पावधि अनुबंध पर नियुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्ते निम्नलिखित हैं:

1. पात्रता:

अनिवार्य

i. सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखा प्रमाणन/कैंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा/राज्य राजस्व लेखापरीक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है।

ii. सेवानिवृत्त पर्यवेक्षकों/सहायक पर्यवेक्षकों/वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों को स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं केंद्रीय/राज्य राजस्व लेखापरीक्षा के पुनरीक्षण का ज्ञान होना आवश्यक है।

वांछनीय

i. सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को डाटा वैश्लेषिकी, एम.एस.ऑफिस एवं कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य करने का संयक ज्ञान होना आवश्यक है।

ii. सेवानिवृत्त पर्यवेक्षकों/सहायक पर्यवेक्षकों/वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों को एम.एस.ऑफिस एवं कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य करने का संयक ज्ञान होना आवश्यक है।

2. <u>अवधि और आयु सीमा:</u>

i. 01.12.2021 के अनुसार आयु 65 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 65 से अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों/सी.ए./सी.एम.ए. को काम पर नहीं रखा जाएगा।

ii. अनुबंध की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए है जो उनके निष्पादन और सेवा की अपेक्षाओं के आधार पर एक-एक वर्ष की अवधि के हिसाब से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

3. <u>पारिश्रमिक और भत्ते:</u>

क) सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन घटाने के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर एक नियत मासिक रकम। इस प्रकार नियत की जाने वाली राशि अनुबंध की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहेगी।

ख) निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच यात्रा के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक नियत राशि दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्ती को प्राप्त दर से अधिक न होगी।

ग) अनुबंध के दौरान कोई वार्षिक वेतनवृद्धि, औसत वृद्धि, महंगाई भत्ता एवं माकन किराया भत्ता नहीं दिए जाएंगे।

4. <u>छुट्टी:</u>

अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को पूरे किए गए प्रत्येक माह के लिए 1.5 दिन की दर से अनुपस्थिति की शोधित छुट्टी दी जाएगी।

एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टी का संचयन नहीं करने दिया जाएगा। तथापि, कर्फ्यू, बंद, हड़ताल, लॉकडाउन के दौरान होने वाली अनुपस्थिति को उसी प्रकार माना जाएगा जैसा कि सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में अनुपस्थिति को माना जाता है। यदि अल्पावधि अनुबंध पर काम पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त से भिन्न किन्हीं कारणों से एक महीने में अनुमत शोधित छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो उनका पारिश्रमिक निम्न प्रकार से यथानुपात घटाया जाएगा:

$$\frac{\text{(नियत मासिक पारिश्रमिक) x (कार्यदिवसों में अनुपस्थित रहने वाले दिनों की संख्या)}}{22}$$

5. **<u>सौंपे जाने योग्य कार्य और अन्य शर्तें:</u>**

सेवानिवृत्त अधिकारियों को, यथासंभव, फील्ड लेखापरीक्षा कार्य/निरीक्षण कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। यदि अत्यावश्यक हो और परिस्थिति की मांग उस प्रकार हो तो उन्हें फील्ड लेखापरीक्षा कार्य में नियुक्त किया जा सकता है तथा सेवानिवृत्ति के समय उनकी हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भी, वे कोई लेखापरीक्षा/निरीक्षण ज्ञापन जारी नहीं करेंगे, जो केवल नियमित अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाएगा।

6. संघ/सरकार द्वारा लगाई जाने वाली सांविधिक कटौतियां नियमानुसार की जाएंगी।

7. नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर है तथा कार्यालय द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति को कभी भी समाप्त किया जा सकेगा। परामर्शदाता भी कार्यालय को एक माह की पूर्व सूचना देकर कार्य छोड़ सकते हैं।

8. इस परिपत्र के संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त करने अथवा नियुक्त न करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित है।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो पात्रता मानदंडों का पालन करते हैं तथा उपर्युक्त नियत कार्य के लिए इच्छुक हैं, अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। विधिवत भरे हुए आवेदन डाक द्वारा या ई-मेल पता pdacbengaluru@cag.gov.in पर 15.12.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जाने चाहिए।

Sd/-

निदेशक/प्रशासन

प्रतिलिपि:

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का सचिव
2. निदेशक/प्रशा., उप निदेशक/कें.स्वा.नि., उप निदेशक/जी.एस.टी. के सचिव
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कें.स्वा.नि., प्र.क., जीएसटी, सीमाशुल्क, सेडार, ई.डी.पी एवं एच.के
4. कार्यालयीन वेबसाइट
5. हिंदी अधिकारी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), BENGALURU

No.PDAC/Admn/A/2021-22/257 Date: 29-11-2021

CIRCULAR

Applications are invited from retired Sr. Audit Officers/ Assistant Audit Officers/ Supervisors/ Assistant Supervisors/ Sr. Auditors/ Auditors/ Sr. Private Secretary/ Private Secretary/ Stenographer, Grade I & Grade II for being appointed on short term contract basis, against the vacancies in the respective cadres, in the O/o the Principal Director of Audit (Central), Bengaluru, in accordance with the Guidelines issued by the Office of the Comptroller and Auditor General of India vide Circular No.27/2021 No.967-Staff (App I)/ 22-2016 dated 03.08.2021 and as amended from time to time.

Terms and Conditions of appointment on short term contract are as under:

1. **Eligibility:**

Compulsory

i. The Retired Sr.AOs/AAOs should possess knowledge of Certification of Accounts/Audit of Central Revenues/Audit in respect of State Revenues.

ii. The Retired Supervisors/Asst Supervisors/Sr.Auditors/Auditors should possess knowledge of vetting of Local Audit Reports and Audit of Central /State Revenues

Desirable

i. The retired SrAOs/AAOs should possess a sound knowledge of data analytics, MS Office and knowledge of working in a computerised environment.

ii. The Retired Supervisors/Asst Supervisors/Sr.Auditors/Auditors should possess a sound knowledge of MS Office and working in a computerised environment

2. **Tenure and age limit**:

i. Age should not be beyond 65 years as on 01.12.2021. No retired Officers/CAs/CMAs shall be hired beyond the age of 65 years.

ii. The period of Contract is initially up to a period of one year extendable up to a maximum of five terms of one year each based on the performance and requirement of services.

3. **Remuneration and Allowances**:

a. A fixed monthly amount, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.

b. An appropriate and fixed amount as transport allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement.

c. No annual increment/percentage increase, Dearness Allowance and House Rent Allowance shall be allowed during the contract.

4. **Leave**: Paid. leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service to the retired Officer/ Official hired on short term contract basis. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed. However, absence during curfew, bandh, strike, lockdown will be dealt with in a similar way as in the case of serving officers/officials. If retired officers/officials hired on short term contract basis remain absent beyond the paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/her remuneration will be deducted on pro-rata basis as under:

$$\frac{\text{(Fixed monthly remuneration) X(No. of days of absence on working days)}}{22}$$

5. **Duties assignable and other conditions**:

Retired officers shall, as far as possible, not be deputed on field audit duties/inspection. In case of exigencies, if the situation so demands, they may be deputed on field audit duties and TA/DA shall be paid as per their entitlement at the time of retirement. Even in such cases, they shall not issue any audit/inspection memo which will be issued by a regular officer only.

6. Statutory deductions levied by the Union/Government shall be made as per rules.

7. The appointment is purely on temporary basis and engagement of Consultant would be terminated by the office at any time. Consultant may also discontinue the engagement by giving one month's notice to the office.

8. The Office reserves the right to appoint or not to appoint any Officer /Official with regard to this Circular.

Interested retired Officers/Officials of IA&AD, fulfilling the eligibility criteria and willing for above assignments may submit their applications. Duly filled application in all respects must reach the undersigned either by post or through e-mail to pdacbengaluru@cag.gov.in latest by 15.12.2021.

sd/-
Director/Administration

Copy to:

1. Secretary to PD
2. Secretaries to Dir/Admn, DD/CAB, DD/GST
3. SrAOs of CAB, DT, GST, Customs, CeDAR, EDP&HK
4. Official Website
5. Hindi Officer

Senior Audit Officer/ Admn

BIO-DATA

Sl.No.	Particulars	
1	Name of the retired Officer/Official	
2	Date of Birth	
3	Qualification 1. Educational 2. Professional	
4	Date of entry into Govt. Service	
5	Length of Service	
6	Date of Retirement	
7	Post held at the time of retirement	
8	Post applied for	
9	In case of Voluntarily retirement, ground on which retired	
10	Experience	
11	Additional information, if any	

I hereby declare that the information furnished above true and correct to best of my knowledge.

SIGNATURE OF THE APPLICANT

(NAME:)